राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/15 जयपुर, दिनांक : 8.12.15

–: आदेश :–

श्री विजय कुमार मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा, लिपिक ग्रेड–II, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर की पंचम् श्रेणी की वरियता संख्या 84/2015 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2051 है। श्री विजय कुमार मीणा की माताजी श्रीमती मनभरी देवी, वार्ड मेंट, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर की दिनांक 31.03.2015 को राजकीय आवास में रहते हुए मृत्यु होने एवं श्री विजय कुमार मीणा को राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उनकी माताजी के नाम आवंटित राजकीय आवास एच–532, गांधीनगर के स्थान पर श्री विजय कुमार मीणा को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 17 के प्रावधान अंतर्गत पात्रता अनुसार "**आउट ऑफ टर्न**" के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 5/151, गॉधीनगर, जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नही किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
4. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग–खण्ड–तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3 (1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 7.1.15

–: आदेश :–

डॉ0 घटा सैवोरिया, वरिष्ठ प्रदर्शक, राजकीय दन्त चिकित्सालय एवं चिकित्सालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 99/2014 है एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2045 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान कर करते हुये "आऊट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या III/16, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. कॉमन सुविधा शुल्क 225/– रूपए सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगें

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment III.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय की आईडी क्रमांक 518/एम/जीएडी/15 दिनांक 15.10.2015 के क्रम में।
4. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशार्षी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी , गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. संबंधित अधिकारी।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3 (1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 7.12.15

–: आदेश :–

श्री सुमित भार्गव, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 172/2014 है एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2031 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान कर करते हुये "आऊट ऑफ टर्न " के आधार पर राजकीय आवास संख्या ई–26, गांधीनगर जयपुर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment III.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय की आईडी क्रमांक 518/एम/जीएडी/15 दिनांक 15.10.2015 के क्रम में।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रंशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी , गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. संबंधित अधिकारी।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3 (1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 7.12.15

–: आदेश :–

श्री अजय जाट, स्टेनो, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 210/2013 है एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2033 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान कर करते हुये "आऊट ऑफ टर्न " के आधार पर राजकीय आवास संख्या III/57, गांधीनगर जयपुर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय की आईडी क्रमांक 518/एम/जीएडी/15 दिनांक 15.10.2015 के क्रम में।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) (प्रशासन एवं पीआरसी), पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–III, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी , गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. संबंधित अधिकारी।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 7/12/2015

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते है :–

क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	96/2006	श्री बद्रीनारायण मीणा लेब.टेक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/60, गांधीनगर	31.7.2038
2	38/2007	श्री कुंजबिहारी गुर्जर कनिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 2, सिविल लाइन, जयपुर	5/67, गांधीनगर	31.05.2036
3	63/2011	श्री पुष्कर राज जाटव कनिष्ठ लिपिक कामिक (क–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/65, गांधीनगर	30.6.2049
4	21/2012	श्री मघ सिंह कनिष्ठ लिपिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	जीएडी/5/टी–1/47, विद्याधर नगर	28.2.2053
5	5/2013	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	जीएडी/5/टी–1/152 विद्याधर नगर	30.6.2034

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आबास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2 सिविल लाइन, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–नगर खण्ड–तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

मधु

शासन उप सचिव